2019 जिला परिषद साधारण चुनाव की संक्षिप्त जानकारी

चुनाव का संक्षिप्त विवरण

मतदान की तारीख और घंटे

- मतदान का दिन: 24 नवंबर 2019 (रविवार)
- मतदान के घंटे: सुबह 7:30 बजे से – रात 10:30 बजे तक (जेलखानो में स्थित समर्पित मतदान केंद्रों को छोड़कर जहां पर मतदान के घंटे सुबह 9:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक होंगे)

नामांकन अवधि

- उम्मीदवारी हेतु नामांकन अवधि: 4 से 17 अक्टूबर 2019
- नामांकन फॉर्म पंजीकरण और निर्वाचन कार्यालय (“REO”) की वेबसाइट (www.reo.gov.hk), या निम्न कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है:

  (a) जिला कार्यालय

  (b) निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय

  (c) REO के कार्यालय (10/फ्लोर, हार्बर सेंटर, 25 हार्बर रोड, वान चाई, हांगकांग या यूनिट 2301-03, 23/फ्लोर, मिलेनियम सिटी 6, 392 क्वून टोंग रोड, क्वून टोंग, कॉव्लून)

मतदान कौन कर सकता है?

- हांगकांग में सामान्यतः रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी स्थायी निवासी निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के योग्य हैं।

- पंजीकृत मतदाता जिनका नाम सितंबर 2019 में प्रकाशित भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाताओं का अंतिम रजिस्टर में शामिल किया गया है, वे चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं।

मतदान क्यों करें?

- एक जिला परिषद सदस्य का चुनाव करने के लिए जो आपके हितों का प्रतिनिधित्व कर सके और जिला मामलों पर सरकार को सलाह दे सके।
- अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ।

मतदान करने की प्रणाली

- प्रत्येक मतदाता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार के लिए मतदान करेगा। निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वैध मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चुनाव किया जाएगा।

मतदान कहाँ करें?

- प्रत्येक मतदाता को, जहाँ तक व्यावहारिक हो, मतदाताओं का अंतिम रजिस्टर में पंजीकृत उसके आवासीय पते के पास एक नामित मतदान केंद्र के लिए नियत किया जाएगा।
- हिरासत में निर्वाचकों को दंडित संस्थानों या पुलिस स्टेशनों में, जो भी उपयुक्त हो, समर्पित मतदान केंद्रों पर मतदान करने की व्यवस्था की जाएगी।
- मतदान दिवस के लगभग 10 दिन पहले संबंधित मतदाताओं को एक मतदान कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर एक व्यक्तिगत मतदाता को उसके नामित केन्द्र के बारे मे जानकारी प्रकाशित होगी।

- मतदान कार्ड से जुड़े स्थान के नक्शे में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि एक निर्वाचक को आवंटित मतदान केंद्र विशेष जरूरतों (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता या चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्ति) वाले मतदाताओं के लिए सुलभ है या नहीं। यदि निर्धारित मतदान केन्द्र सुलभ नहीं पाया जाता है तो वह मतदाता REO को व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ मतदान केन्द्र पर वोट ड़ालने के लिए फैक्स (2891 1180), ईमेल (reoenq@reo.gov.hk), टेलीफोन (2891 1001) या ड़ाक (रजिस्ट्रैशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस, 10/फ्लोर, हार्बर सेंटर, 25 हार्बर रोड, वान चाई, हांगकांग) द्वारा 19 नवंबर 2019 (मंगलवार) से पहले आवेदन कर सकते हैं।

मतदान कैसे करें?

- 24 नवंबर 2019 (रविवार) को मतदान के समय (सुबह 7:30 से रात 10:30 बजे तक) अपने नामित मतदान केंद्र पर अपने हांगकांग पहचान पत्र ("HKID") या अन्य निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज़ (कृपया विवरण के लिए नीचे दिए गए "मतपत्र एकत्र करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़" अनुभाग देखें) लेकर आएं।
- अपने HKID या अन्य निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज़ों को मतदान केंद्र के अंदर मौजूद कर्मचारियों को प्रस्तुत करें, जो आपकी जानकारी को मतदाताओं का अंतिम रजिस्टर से जांच कर सत्यापित करेंगे।
- आपको एक मतपत्र, "✓" (सही का निशान) लगी हुई चॉप के साथ एक कार्डबोर्ड दिया जाएगा।
- आप अपने मतपत्र को एक मतदान-कक्ष के अंदर चिह्नित करें। कृपया मतपत्र पर लिखे और मतदान कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और साथ ही कक्ष के अंदर लगी सूचनाओं पर ध्यान दें।

- मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे दिए हुए घेरे में कार्डबोर्ड से संलग्न "✓" (टिक) का चॉप लगाएं।
- मतपत्र को चिह्नित करने के बाद एक बार मोड़ दें ताकि मतदान-पेटी में डालने से पहले चिह्नित पक्ष "✓" (टिक) को छिपाने के लिए अंदर की तरफ हो।

टिप्पणी:

(a) एक मतपत्र पर केवल एक उम्मीदवार के लिए मतदान करें।

(b) आपको दी गई चॉप का उपयोग करना चाहिए। अपने मतपत्र को चिह्नित या संशोधित करने के लिए एक कलम या किसी अन्य साधन का उपयोग न करें। यह आपके वोट को अमान्य कर देगा।

(c) यदि आप अपने मतपत्र पर चोप लगाने में कोई गलती करते हैं या एक मतपत्र खराब कर देते हैं तो कृपया मतपत्र निर्वाचन अधिकारी को वापस करें और एक नए मतपत्र के लिए पूछें।

- यदि मतदाता को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरुरत है तो वे अल्पसंख्यक जातीयों के लिए केन्द्र (“CHEER”) की निम्नलिखित हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। यह सुविधा 11 से 15 नवंबर 2019, और 18 से 24 नवंबर 2019 तक उपलब्ध होगी।

भाषा	**हॉटलाइन नंबर**
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
हिन्दी	3755 6877
नेपाली	3755 6822
पंजाबी	3755 6844
तागालोग	3755 6855
थाई	3755 6866
उर्दू	3755 6833

मतपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- 10 दिसंबर 2018 से मतपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपने हांगकांग पहचान पत्र ("HKID कार्ड") या निम्नलिखित निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेज़ों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है:

  (a) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ("HKSAR") वैध पासपोर्ट की मूल प्रति ; या

  (b) छूट के प्रमाण पत्र की मूल प्रति; या

  (c) HKID कार्ड के लिए आवेदन स्वीकृति पावती की मूल प्रति; या

  (d) नाविक या जहाज के कर्मचारी की वैध पहचान पुस्तिका की मूल प्रति; या

  (e) वीजा उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के पहचान के वैध दस्तावेज की मूल प्रति; या

  (f) एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी एक प्रामाणिक रिपोर्ट दस्तावेज (आमतौर पर "खोई हुई संपत्ति का एक रिकॉर्ड") कि उस व्यक्ति का HKID कार्ड या छूट का प्रमाण पत्र या HKID कार्ड के लिए आवेदन स्वीकृति पावती खो गए या नष्ट हो गए हैं, उसके नाम और फोटो को दर्शाते हुए एक वैध पासपोर्ट या इसी तरह के यात्रा दस्तावेज की मूल प्रति के साथ (जैसे कि HKSAR पासपोर्ट के अलावा अन्य पासपोर्ट या घर वापसी परमिट)।

- विवरण के लिए, कृपया निर्वाचन मामलों के आयोग (चुनावी प्रक्रिया) (जिला परिषद) विनियमन (कैप 541F) की धारा 53 का संदर्भ लें।

मतदाताओं के लिए चेकलिस्ट

- निम्नलिखित क्रियाएं निषेध हैं:

(a) चुनाव में मतदान नहीं करने, या किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान या मतदान नहीं करने के लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी लाभ (धन, उपहार, आदि सहित), भोजन, पेय या मनोरंजन की विनती करना या स्वीकार करना।

(b) किसी चुनाव में वोट न देने, या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ, भोजन, पेय या मनोरंजन प्रदान करना।

(c) किसी चुनाव में वोट देने या न देने या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ बल या अवरोध का उपयोग करना या उपयोग की धमकी देना।

(d) मतदान का हकदार न होने की जानकारी होते हुए भी चुनाव में मतदान करना।

(e) जानबूझकर या लापरवाही से गलत या भ्रामक जानकारी (उदाहरणतः गलत आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देने के बाद चुनाव में मतदान करना।

(f) अन्य मतदाताओं के साथ संवाद करना जिसमें मतपत्र पर अपना मत दूसरों को दिखाना या मतदान केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए मोबाइल टेलीफोन या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करना शामिल हैं।

(g) मतदान केंद्र के भीतर फिल्म, तस्वीरें लेना या कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना।

(h) अन्य मतदाताओं से अपने बैलेट पेपर को चिह्नित करने के लिए कहना - आवश्यकता होने पर, आप निर्वाचन अध्यक्ष से एक मतदान अधिकारी की उपस्थिति में अपने मतदान-पत्र को चिह्नित करने के लिए कह सकते हैं।

(i) अन्य मतदाताओं के साथ, जो अपने मत डाल रहे हैं, हस्तक्षेप करना।

साफ- सुथरा चुनाव

भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतंत्र आयोग (“ICAC”) द्वारा लागू किए जाने वाले चुनाव (भ्रष्ट और अवैध आचरण) अध्यादेश (कैप 554) के अनुसार, एक मतदाता को हांगकांग या अन्य जगहों पर निम्नलिखित नही करना चाहिए:

- चुनाव में वोट न डालने के लिए या एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट डालने या न डालने के लिए किसी एक व्यक्ति से कोई लाभ (पैसा,उपहार,सहित इत्यादि), खाना, पेय या मनोरंजन मांगना या स्वीकार करना;
- किसी भी व्यक्ति को चुनाव में वोट न करने, या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए प्रेरित करने के लिए (धन, उपहार, इत्यादि सहित) भोजन, पेय या मनोरंजन जैसे लाभ पेश करना;
- चुनाव में वोट देने या न देने के लिए या किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बल या अवरोध का उपयोग करना या उपयोग की धमकी देना;
- **यह** जानते हुए कि वह ऐसा करने का/की हकदार नहीं है, एक चुनाव में मतदान करना; या जानबूझकर या बिना विचारे ही गलत या भ्रामक जानकारी (उदाहरणतः गलत आवासीय पता) निर्वाचन अधिकारी को देना।

ICAC की साफ- सुथरा चुनाव पर एक समर्पित वेबसाइट है और उपयुक्त जानकारी (अंग्रेजी और चीनी दोनों में) प्रदान करती है । कृपया www.icac.org.hk/elections वेबसाइट देखें।